GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF TRANSPORT (PARIWAHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF RAILWAYS (RAIL VIBHAG)
(RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)I-85/CPC/LE-2 R.B.No.92/86

New Delhi, Dtd. 12.5.1986

The General Manager,
Western Railway,
Bombay.

Sub: Regularisation of period of absence of employees who were victims of Bhopal Gas Tragedy.

.....

Reference your letter No.E/Wel/1210/1/Misc. of 24th January 1986.

2. In the circumstances explained therein, post-facto approval of the Department of Railways (Railway Board) is communicated to the sanction of Special Casual Leave from 3.12.84 to 24.12.84 to Railway employees who were affected by gas tragedy in Bhopal, as listed in the enclosure to your letter referred to above.

3. The period of absence from 25.12.84 onwards in accordance with the details furnished in the enclosure to your letter of 24th January 1986, may be regularised by payment of leave salary on average pay (i.e. on the basis of last pay drawn) in relaxation of the provisions contained in Rule 2123-R.II, irrespective of whether the absence due to sickness was in one continuous spell or in intermittent spells. Such leave shall not be debitable to the leave account of the employee.

4. The above sanction is subject to the condition that the Competent Medical Authority has satisfied himself that the absence from duty was on account of Bhopal Gas Tragedy.

5. This has the apporval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Department of Railways.

Hindi version will follow.

K Venkatesan

(K.Venkatesan)
Addl.Exec.Director, Estt(P&A)
Railway Board.

....2/-

No.E(P&A)I-85/CPC/LE-2 New Delhi, Dtd. 12-5-1986

Copy to FA & CAO, Western Railway, Bombay for information.

(K.Venkatesan)
Addl.Exec.Director, Estt(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)I-85/CPC/LE-2 New Delhi, Dtd. 12-5-1986

Copy forwarded for information to Director of Audit, Western Railway, Bombay.

for Financial Commissioner
Railways.

No.E(P&A)I-85/CPC/LE-2 New Delhi, Dtd. 12-5-1986

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, 3-Chelmsford Road, New Delhi (with 25 spares).
2. The General Secretary, AIRF, 4-Stare Entry Road, New Delhi (with 25 spares).
3. Copy to all members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozesh Raod, New Delhi.

for Secretary, Railway Board.

Copy to:

OSD/MOS(R), PSs to CRB/MS/Adv.(Finance)/Adv.(IR)/ DG/RHS
SPAs to D.E. and AEDE(P&A)
PA to JDF(E) and JDE(W)
F(E)I, II and III and Special, Health, E(W), E(LR)III and E(P&A)II sections of the Railway Board.

भारत सरकार
परिवहन मंत्रालय
रेल विभाग (रेलवे बोर्ड)

आर.बि.सं.- 92/86.

सं0ई(पीएंडए)I-85/सीपीसी/एलई-2 नयी दिल्ली, दिनांक 12-5-1986

महाप्रबंधक,
पश्चिम रेलवे,
बम्बई I-

विषय:- भोपाल गैस त्रासदी के शिकार कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि का नियमन I

यह पत्र आपके 24 जनवरी, 1986 के पत्र सं0 ई(वेल)I210/I/मिस के संदर्भ में है I

2. इस पत्र में वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए, आपके ऊपर संदर्भित पत्र के अनुलग्नक में दी गयी सूची के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित रेल कर्मचारियों को 3-12-84 से 24-12-84 तक विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए रेल विभाग (रेलवे बोर्ड) का कार्योत्तर अनुमोदन संसूचित किया जाता है I

3. आपके 24 जनवरी, 1986 के पत्र के अनुलग्नक में दिए गए ब्योरे के अनुसार, 25-12-84 के बाद की अनुपस्थिति अवधि को नियम 2123 आर-II में अन्तर्विष्ट प्रावधानों में छूट देते हुए औसत वेतन पर अवकाश वेतन (अर्थात् लिये गए अन्तिम वेतन के आधार पर) का भुगतान करके नियमित किया जाए चाहे अस्वस्थता के कारण अनुपस्थिति निरन्तर रही हो अथवा अलग-अलग अन्तराल में रही हो I ऐसा अवकाश कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं डाला जाएगा I

4. उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त पर है कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी स्वयं इस बात से संतुष्ट हो गया है कि कार्य से अनुपस्थिति भोपाल गैस त्रासदी के कारण थी I

5. इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है और रेल विभाग के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है I

9/5/86

(के.वेंकटेशन)
अपर कार्यकारी निदेशक (वे.एवं म.)
रेलवे बोर्ड I

...2/-

सं0ई॥पी एंड ए॥ I-85/सी पी सी/एलई-2 नयी दिल्ली, दिनांक 12-5-1986

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पश्चिम रेलवे, बम्बई को सूचनार्थ प्रस्तुत ।

के. वेंकटेशन

के. वेंकटेशन॥ अपर कार्यकारी निदेशक स्था॥पी एंड ए॥
रेलवे बोर्ड ।

सं0ई॥पी एंड ए॥ I-85/सी पी सी/एलई-2 नयी दिल्ली, दिनांक 12-5-1986

प्रतिलिपि निदेशक, लेखा-परीक्षा, पश्चिम रेलवे, बम्बई को सूचनार्थ प्रेषित

कृते वित्त आयुक्त, रेलें ।

सं0ई॥पी एंड ए॥ I-85/सी पी सी/एलई-2 नयी दिल्ली, दिनांक 12-5-1986

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित ।

1. महासचिव, एआईएआरई, 3 वेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली॥25 अतिरिक्त प्रतियों॥
2. महासचिव एआईआरएफ, 4-स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली॥25 अति. प्रतियों सहित॥
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद I-3-बी फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली, के सभी सदस्यों को

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि :-

वि.का.अधि/राज्य मंत्री॥रेलवे॥, निजी सचिव/अध्यक्ष/सदस्य कार्मिक/सलाह॥वित्त॥ सलाहकार॥औ.स.॥ महानिदेशक, रे.स्वा.सेवा.
वरिष्ठ निजी सहायक/निदेशक स्था.तथा अपर कार्य निदेशक स्था॥वे.एवं भत्ते॥ वैयक्तिक सहायक/संयुक्त निदेशक वि.॥स्था.तथा संयुक्त निदेशक वित्त॥निर्माण॥ वित्त॥स्था॥, I, II, तथा III और विशेष, स्वाध्याय ई॥डब्ल्यू॥ई॥एलआर॥III, तथा ई॥पी एंड ए॥II शाखाएं रेलवे बोर्ड ।